न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व विविध संख्या – 20/2020

तारीख दायरा – 09/07/2020

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. भीकी पुत्री स्व0 वालाराम जाति कुम्हार नि0 सिन्दरली हाल पत्नि पकाराम नि0 गुडा मांगलियान तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज0)
2. मूली पुत्री स्व0 वालाराम जाति कुम्हार नि0 सिन्दरली हाल पत्नि भीमाराम नि0 मेवाडिया तहसील–कुम्भलगढ जिला–राजसमंद (राज0)

बनाम

1. अंशी बाई पत्नि स्व0 वाला
2. फुलाराम पुत्र स्व0 वाला
3. चेलाराम पुत्र स्व0 वाला जाति कुम्हार निवासीगण सिन्दरली तह0 देसूरी
4. दरिया पुत्री स्व0 वाला जाति कुम्हार नि0 सिन्दरली तहसील–देसूरी हाल पत्नि उम्मेदरामजी कुम्हार नि0 बिलीया तहसील–बाली जिला–पाली
5. तहसीलदारजी, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

वाद अन्तर्गत धारा– 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री नारायणसिंह भाटी, अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री राकेश राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या– 01 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या–1, 3 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. तहसीलदार देसूरी प्रतिवादी संख्या– 05 फोरमल पक्षकार।

– : निर्णय :– **दिनांक :– 29.07.2021**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गांव–सिन्दरली तहसील देसूरी जिला–पाली में खातेदारी कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

भूमि खसरा नम्बर 685 क्षेत्रफल 0.9100 हेक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम लगान रूपया 10.27 विद्यमान है, प्रमाण स्वरूप जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत है।

वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिता व पति वाला पुत्र इन्दाजी की खातेदारी अधिपत्य का 1/2 हिस्सा रहा है, जिस संबंध में वादीगण ने यह वाद लाया है। उक्त खसरान की आराजी के दीगर 1/2 हिस्से का सहखातेदार के खातेदारी हक हिस्से बाबत् वाद में कोई अनुतोष नही चाहा गया है। जिससे उन्हें आवश्यक पक्षकार नही होने से पक्षकार नही बनाया गया है।

वादीगण के पिता उक्त वालाराम पुत्र इन्दाराम की निर्वासियत मृत्यु दिनांक 07/07/2013 को हो चुकी है, मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है। जिनके विधिक वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 है, जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है– मृत वाला 1/2

अंशी बाई (पत्नि) प्रति सं0 1 1/12	फुलाराम (पुत्र) प्रति सं0 2 1/12	चेलाराम (पुत्र) प्रति सं0 3 1/12	दरिया (पुत्री) प्रति सं0 4 1/12	भीकी (पुत्री) वादी 1/12	मूली (पुत्री) वादी 1/12

मृत्युपरान्त वादीगण के पिता उक्त वाला के विधिक वारिसान सजरा अनुसार सभी छः पुत्र पुत्रिया वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 है। मृत वाला के प्रथम श्रेणी के वारिसान उत्तराधिकारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 है, जिससे हिन्दू उत्तराअधिकार अनुसार वादग्रस्त आराजी में विद्यमान वादीगण के पिता मृत वाला की खातेदारी के 1/2 हिस्से के कानूनन हकदार खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 समान रूप से हुए। इस प्रकार वादग्रस्त कुल आराजी में कानूनन पैतृक हक अधिकार अनुसार वादी सं0 1 का 1/12 वां हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/12 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 का 1/12 वां हिस्सा = 1/2 हिस्सा विद्यमान है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 को उक्त जानकारी होते हुए भी वादीगण को उनके पैतृक हक अधिकारों से वंचित रखने की कुचेष्टा मात्र से वादीगण के पिता वाला की मृत्युपरान्त बाला–बाला सिर्फ प्रतिवादी सं0 1 से 4 के नाम से ही विरासत नामान्तरकरण के जरिये राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दिया जबकि वादीगण वाला की पुत्रियों का कानूनन समान रूप के हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के साथ–साथ निहित है। कुछ रोज पूर्व वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड की जानकारी होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के नाम दर्ज खातेदारी के 1/2 हिस्से में नाम दर्ज करवाने हेतु कहने पर आजकल बतलाकर टालम–टोली कर रहे है एवं वादीगण क नाम दर्ज नही करवा रहे है। उतरा वादीगण के हक हिस्सो सहित खुर्द बुर्द अन्यत्र हस्तांतरण कर विधिक हक अधिकारों से वंचित रखने पर आमादा है एवं वादीगण के हिस्सों में काश्त, उपयोग में नाजायज दखलंदाजी पर आमादा है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में जाहिर किया कि उपरोक्त रूपेण मृत वाला की विधिक वारिस उत्तराधिकारी की हैसियत से वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्सा में वादीगण अपने पैतृक हक अधिकारों अनुसार खातेदार घोषित कराने की कानूनन अधिकारी है यानि कुल आराजी में पैतृक हक अधिकार अनुसार प्रत्येक वादी का 1/12 – 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 से 4 का प्रत्येक का 1/12 वां हिस्सा = 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित कराने की वादीगण अधिकारी है। जिससे वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत् खातेदारी घोषणा एवं निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया ।

वादग्रस्त आराजी में कुछ रोज से हिस्सा को खुर्द–बुर्द अन्यत्र अन्तरण करने पर एवं वादीगण के हिस्से नाजायज दखल करने पर आमादा होने पर बिनाय वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण उदित हुआ है। वाद अन्दर अवधिकाल पेश किया है एवं निवेदन किया कि ग्राम सिन्दरली स्थित वादग्रस्त आराजी ख0 न0 685 क्षेत्रफल 0.9100 हेक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम, लगान रूपया 10.27 के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सो के स्थान पर वादी सं0 1 का 1/12 वां हिस्सा वादी सं0 2 का 1/12 वां हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/12 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 का 1/12 वां हिस्सा = 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी के वादीगण के सहखातेदारी हिस्सों की भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में, उपयोग आवाजाही आदि में दखलंदाजी, हस्तक्षेप प्रतिवादीगण नही करे न किसी अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देवली

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से इकबालिया जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये, इनकी ओर से कोई वादोत्तर प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादी सं0 5 भूमिधारी फोटमल पक्षकार है।

वादीगण भीकी एवं मूली पुत्री स्व0 वालाराम द्वारा बतौर शहादत वादी शपथ–पत्र पेश किये गये। जिनके बयान कलम बद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादीनी भीकी एवं मूली द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के जाहिर किया कि स्व0 पिता वालाराम के नाम की ग्राम सिन्दरली में ख0नं0 685 रकबा 0.91 हेक्टर कुल कृषि भूमि में दोनो का 1/12 – 1/12 वां हिस्सा आता है। वादीगण का पैतृक हक अधिकार अनुसार खातेदारी का घोषित किया जाकर रेकर्ड में दर्ज कराने का आदेश करावें इसी अनुसार प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 का भी प्रत्येक का 1/12 हिस्सा खातेदारो का घोषित कराया जावें। प्रतिवादी सं0 1 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने व प्रतिवादी सं0 3 व 4 के अनुपस्थित रहने से वादीगण की जिरह शून्य रही ।

अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने पत्रावली के अवलोकन से एवं वादीगण के साक्ष्य के परिपेक्ष्य में हम पाते है कि वादगस्त आराजी ग्राम सिन्दरली के ख0नं0 685 रकबा 0.91 हेक्टर कृषि भूमि में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज रेकर्ड है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के पिता वाला पुत्र इन्दाजी की खातेदारी की 1/2 हिस्सा रहा है। वालाराम पुत्र इन्दाराम की मृत्यु हो जाने से विरासत नामान्तरकरण के जरिये राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज नही होकर मात्र प्रतिवादी सं0 1 से 4 का नाम ही दर्ज किया गया जबकि वादीगण के पिता मृत वालाराम की विधिक वारिसान पुत्रियों की हैसियत से कानूनन वादीगण का भी समान हक हिस्सा प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के साथ–साथ निहित है। वादीगण के पिता वाला की खातेदारी के 1/2 हिस्से के कानूनन हकदार खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 समान रूप से हुए। इस प्रकार वादग्रस्त कुल आराजी के कानूनन पैतृक हक अधिकार अनुसार वादी सं0 1 का 1/12 वा हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 से 4 के प्रत्येक का 1/12 वां हिस्सा = 1/2 हिस्सा विद्यमान है। जिससे वादीगण पिता की पैतृक भूमि में उनके हिस्से की खातेदारी घोषणा की अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा सरहद गांव सिन्दरली स्थित वादग्रस्त आराजी ख0नं0 685 रकबा 0.91 हेक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम लगान रूपया 10.27 के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सों के स्थान पर वादी सं0 1 का 1/12 वां हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/12 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/12 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 का 1/12 वां हिस्सा = 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी के वादीगण के सह खातेदारी हिस्सों की भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में उपयोग—उपयोग में बाधा रोक—टोक दखलंदाजी, हस्तक्षेप न ही करे न किसी से करावें तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी है। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक 29.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी देसूरी (पाली)
बइजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादी :–

1. भीकी पुत्री स्व0 वालाराम जाति कुम्हार नि0 सिन्दरली हाल पत्नि पकाराम नि0 गुडा मांगलियान तहसील– देसूरी जिला–पाली (राज0)
2. मूली पुत्री स्व0 वालाराम जाति कुम्हार नि0 सिन्दरली हाल पत्नि भीमाराम नि0 मेवाडिया तहसील–कुम्भलगढ जिला–राजसमंद (राज0)

बनाम प्रतिवादी :–

1. अंशी बाई पत्नि स्व0 वाला
2. फुलाराम पुत्र स्व0 वाला
3. चेलाराम पुत्र स्व0 वाला जाति कुम्हार निवासीगण सिन्दरली तह0 देसूरी
4. दरिया पुत्री स्व. वाला जाति कुम्हार नि. सिन्दरली तहसील–देसूरी हाल पत्नि उम्मेदरामजी कुम्हार नि. बिलीया तहसील–देसूरी जिला–पाली
5. तहसीलदारजी, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

दावा 88, 188, 92ए आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 20 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाइल कतई रूबरू हमारे हाजिर श्री नारायणसिंह भाटी वादीगण मिनजानिब मुदई व श्री राकेश राजपुरोहित प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से एवं श्री कैलाश ईनाणिया नायब तहसीलदार देसूरी पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म किया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि वाद मे वादी द्वारा प्रस्तुत मौजा सरहद गांव सिन्दरली स्थित वादग्रस्त आराजी ख0नं0 685 रकबा 0.91 हेक्टर किस्म चाही दोयम जाव दोयम लगान रूपया 10.27 के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के नाम दर्ज खातेदारी हिस्सों के स्थान पर वादी सं0 1 का 1/12 वां हिस्सा, वादी सं0 2 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/12 वा हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 1/12 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 का 1/12 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 का 1/12 वां हिस्सा = 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी के वादीगण के सह खातेदारी हिस्सों की भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में उपयोग–उपयोग में बाधा रोक–टोक दखलंदाजी, हस्तक्षेप न ही करे न किसी से करावें

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 07 सन् 2021।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मुदई	रूपया	पैस	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान	—	-	स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी महनताना फीस खर्चा वहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नाम मुतारफरीक मिजान	—	-

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested